

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2021

**विषय:** नव सृजित नगर पंचायतों में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत आप अवगत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति एवं उनमें हो रहे अनियोजित विकास को नियोजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में कई नये नगर पंचायत का गठन किया गया है। नये नगर पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था, सड़क, पथ प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, कार्यालय भवन, शहरी गरीबों के लिये आवास जैसे मूल भूत सुविधायें जन सामान्य को उपलब्ध कराना नगरीय निकाय का अनिवार्य कर्तव्य है। इस हेतु नगरीय निकाय द्वारा 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने आर्थिक स्रोतों का नियमानुसार उपयोग किया जाता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के नवसृजित नगर पंचायत में उपर्युक्तानुसार मूल-भूत सुविधायें जन सामान्य को उपलब्ध कराने विषयगत विकास कार्य शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध रूप में कराने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र लाभार्थियों का भी सर्वे कराते हुये आवश्यकतानुसार डी0पी0आर0 राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से नव सृजित नगर पंचायतों में विकास कार्य कराये जाने हेतु समस्त संबंधित वगे निर्देशित किये जाने के साथ ही उक्त का अनुश्रवण करने का भी कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

26.6.21